राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

कमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)क.ले.प्रशि. / 2021 / अलेसे–II / 2306 दिनांकः– 15/12/2021

आदेश संख्याः– 518 / 2021–22

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) रानीरोड, उदयपुर– 313001 में दिनांक 20.12.21 से 24.12.21 तक आयोजित होने वाले कनि0 लेखाकार पद के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 20.12.21 को प्रातः 9.30 बजे उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता हैः–

क्र.	कार्मिक का नाम (सर्व श्री)	लिंक नं.	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	निर्मला वैष्णव	12006	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (तकनीकी शिक्षा) भीलवाडा
2	करण सिंह यादव	10277	आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर
3	रामनिवास यादव	13214	कार्यकारी निदेशक, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कार्पोरेशन जयपुर
4	हंसराज वर्मा	12350	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सेटेलाईट हॉस्पिटल, जयपुर
5	रणवीर सिंह	10323	कोषाधिकारी (ग्रामीण) जयपुर
6	सुभाष शर्मा	11879	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर

नोटः– पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पूर्व में जारी विभागीय आदेश संख्या 510 / 2021–22 दिनांक 02.12.2021 में कम संख्या 1, 14 एवं 16 पर अंकित कनि0 लेखाकारों का नाम विलोपित किया जाता है।

उक्त प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी **कनिष्ठ लेखाकार** अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रुप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेंगा।

बाहर से आने वाले संभागियों के ठहरने एवं भोजन की सुविधा संस्थान से सम्बद्ध अधिकारी प्रवास में नियमानुसार शुल्क के आधार पर उपलब्ध होगी।

निदेशक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

कमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)क.ले.प्रशि. / 2021 / अलेसे–II / 2306 **दिनांक** :- 15/12/2021

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, **हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), रानीरोड़, उदयपुर-313001** को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग / कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रुप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें।
5. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेषालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी)कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. रक्षित / निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)